

प्रेस नोट

दिनांक 17.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दहेज हत्या के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 42/14 धारा 498ए,304बी,302 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना कमरौली में अभियुक्तों 1. अशोक दुबे पुत्र देवनरायन 2.अशीष कुमार पुत्र देव नरायण 3. नीलम पत्नी अशोक कुमार 4. रेखा पत्नी अशीष कुमार निवासीगण पलिया पश्चिम थाना कमरौली जनपद अमेठी को दोषी सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-04 सुलतानपुर द्वारा आज दिनांक 17.11.2022 को अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35 हजार रु0 अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी । प्रत्येक को धारा 304बी में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड, 498ए भादवि में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपया अर्थदण्ड, धारा ¾ डीपी एक्ट में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपया का अर्थदण्ड एवं धारा 302 भादवि में प्रत्येक को दोषमुक्त किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 05.01.2014 को समय करीब प्रातः 08:00 बजे थाना कमरौली पर तहरीरी सूचना दी कि वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए कैरोसीन डालकर जलाकर हत्या कर देने की इस सूचना पर थाना कमरौली पर मु0अ0सं0 46/14 धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना कमरौली जनपद अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री सुमित शुक्ला द्वारा की गयी । विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या ए-21 दिनांक 29.03.2014 एवं ए-21ए दिनांक 14.04.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।